

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू-अर्जन शाखा)

### —: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 373 /भू अ०

दिनांक : 29/05/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-लेड़वा, थाना :-मधुपुर, थाना सं०-487, अंचल:-करौं, जिला :-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना-मधुपुर उपकारा हेतु पहुँच पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :- लेड़वा, थाना :-मधुपुर, थाना सं०-487, अंचल:-करौं, जिला :-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.47 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :— .....

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामि त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	प०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	10	मूल रैयत का जोत	बाड़ी-2	0.37	जय प्रकाश सिंह वो कामदेव प्र० सिंह वो रामदेव प्र० सिंह वो विपीन सिंह पिता सन्तन प्रसाद सिंह वो बची देवी पति स्व० कृष्ण कान्त सिंह वो रवि गोपाल सिंह प० स्व० शालिग्राम प्र० सिंह वो चन्द्र कान्त सिंह वो विजय प्र० सिंह वो परमानन्द सिंह प० स्व० मुशाफिर प्र० सिंह।	अंश खेसरा 10	रोड	खेसरा नं०-7	अंश खेसरा 10
2	1	12	मूल रैयत का जोत	बाड़ी-2	0.25	तथैव				
3	1	13	मूल रैयत का जोत	बाड़ी-2	0.95	तथैव				
4	1	14	मूल रैयत का जोत	बाड़ी-2	0.47	तथैव				
5	1	44	मूल रैयत का जोत	बाड़ी-2	0.43	तथैव				
<b>कुल योग—</b>						<b>2.47</b>				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी

अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्य/विक्य नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

हृ०/—

समाहर्ता—सह—उपायुक्त  
देवघर।

ज्ञापांक ३७३ / भू. अ०, देवघर, दिनांक २९/०५/२०१७ द०।

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, करौं को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
समाहर्ता—सह—उपायुक्त  
देवघर।